



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 No. 25 of 2009)

क्रमांक : 1321 / अका. / 2011

बिलासपुर, दिनांक - 26/7/2011

Registered Post

::परिपत्र::

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 11.06.2011 में लिये गये निर्णय के अनुसार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 की कंडिका 8(2) के प्रावधानानुसार अशासकीय मॉ चन्द्रहासिनी महाविद्यालय, चन्द्रपुर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अस्थायी संबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है ।

आदेशानुसार,

Supra
26/7/2011

उप-कुलसचिव (अकादमिक)

बिलासपुर, दिनांक - 26/7/2011

पृ.क्रमांक : 1322 / अका. / 2011

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. शिक्षा सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ।
3. आयुक्त/संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास.विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.) ।
4. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास.जे.पी.वर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर ।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / संचालक (म.विप.) / परीक्षा नियंत्रक / सहायक कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय / भंडार) ।
6. अध्यक्ष / सचिव, श्री गोपाल जी महाप्रभु मंदिर एवं श्री चन्द्रहासिनी देवी मंदिर सार्व.न्यास, चन्द्रपुर, जिला-जांजगीर-चांपा ।
7. कुलपति / उपकुलपति / कुलसचिव के निज सचिव / शीघ्रलेखक / निज सहायक ।
8. विभागाध्यक्ष (संगणक विज्ञान) को इस निवेदन के साथ कि संबद्ध महाविद्यालयों की सूची से उक्त महाविद्यालय का नाम विलोपित करने का कष्ट करें ।

1131/CS17/2011
26/7/11

Supra
26/7/11

33

Rimpatho
सहा.कुलसचिव (अका.)